न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर..ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 087/2018

1. लच्छीराम पुत्र श्री मनीराम जाति सुथार निवासी डूगरसिंहपुरा तहसील सादूलशहर जिला श्रीगंगानगर काश्तकार गणेशगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

– – वादी

–:: बनाम ::–

1. रामकुमार
2. शंकर

} पुत्रान श्री पतराम जाति सुथार निवासीयान डूगरसिंहपुरा तहसील सादूलशहर काश्तकार गणेशगढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री तेजासिह सन्धु अधिवक्ता वादी
2. श्री सन्दीप ढ़ाका अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1, व 2
3. पैरोकार राज प्रतिवादी संख्या 3

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 04.06.2018

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 53, आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि चक गणेशगढ़ के खाता संख्या 69/62 मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 3 ता 8 कुल 1.442 हैक्टर भूमि वादी एवम् प्रतिवादीगण के मुश्तर्का खाते में दर्ज है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादी की 0.506 हैक्टर प्रतिवादी रामकुमार के नाम 0.215 हैक्टर व प्रतिवादी शंकर के नाम 0.721 हैक्टर नहरी/बारानी भूमि दर्ज है जमाबन्दी शामिल वाद पत्र है।

वादग्रस्त भूमि मुश्तर्का खाते में है इसलिये पानी की पर्ची बनानें मं बैक से लोन लेनें में व लगान आदि अदा करनें में दिक्कते आती है जब खाता मुश्तर्का है तो अन्य कब्जे से सम्बंधित पेचीदगियां बढ़ती है इसलिये वादी व प्रतिवादीगण का जो आपस में मन मुटाव चल रहा है। उसे पंचायत नें दूर कर दिया है और हिस्से के अनुसार राजीनामा करवाकर बंटवारा कर दिया है इस बंटवारा के अनुसार भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही है।

वादी एवम् प्रतिवादीगण का आपस में गांव के मोतबिर व्यक्तियों नें राजीनामा करवा दिया है राजीनामा के अनुसार निम्न प्रकार से भूमि बांटकर दे दी है जिसमें वादी एवम् प्रतिवादीगण सहमत है जो निम्न प्रकार से है :–

1. लच्छीराम के हिस्से में आई भूमि :– चक गणेशगढ़ सैकिण्ड खाता संख्या 62/69 मुरब्बा नम्बर 51 किला नम्बर 3/253, 8/.253 नहरी कुल 0.506 हैक्टर नहरी भूमि।
2. रामकुमार व शंकर के हिस्से में आई भूमि :– गणेशगढ़ सैकिण्ड खाता संख्या 62/69 मुरब्बा नम्बर 51 किला नम्बर 7/.215 हैक्टर रामकुमार को शेष भूमि शंकर पुत्र पतराम को किला नम्बर 4/.253, 5/.253, 6/1 में .177, 7/.038 हैक्टर नहरी/बारानी

वादी एवम् प्रतिवादीगण रिकार्डेड टिनेन्ट है हिस्से के अनुसार पहले भी काबिज थे और अब भी काबिज है लेकिन अब जितना जितना हिस्सा बनता था उतना उतना भूमि का

कब्जा मोतबिर व्यक्तियों नें राजीनामा करवाकर बांट कर दे दिया था उसी के अनुसार पक्षकारान काबिज है एवम् किलावाईज बंटवारा चाहते है न्याहित में हिस्से के अनुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी कर राजीनामा के आधार पर फाईनल डिक्री जारी की जानी इन्साफ की दृष्टि से आवश्यक व उचित है।

पक्षकारों का आपस में मनमुटाव चल रहा था खाता मुश्तर्का था एक दूसरे पक्षकार को बार बार कहनें पर भी खाता अलग नहीं करवाया लेकिन पंचायत के मौतबिर व्यक्तियों द्वारा आज से पांच रोज पूर्व 25.05.2018 को पंचायत बुलाई उसमें समझाईश की गई पहले तो पक्षकारान आनाकानी करते रहे लेकिन पंचायत के कहनें से पक्षकारान मान गये इसी आधार पर वादी को वादकरण उत्पन्न हुआ है वादकरण उत्पन्न होनें पर दावा अन्दर अवधी पेश किया जा रहा है।

अतः वाद पेश कर अर्ज है, कि वाद वादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

1. चक गणेशगढ़ के खाता संख्या 62/69 मुरब्बा नम्बर 51 में वादी का 0.506 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 1 का 0.215 हैक्टर व प्रतिवादी संख्या 2 का 0.721 हैक्टर भूमि हिस्से के अनुसार प्रारम्भिक डिक्री विभाजन की जारी की जावे।
2. प्रारम्भिक डिक्री के आधार पर तहसीलदार पटवारी से फाईनल प्रस्ताव मंगवाकर राजीनामें व घरेलु बंटवारें के आधार पर गणेशगढ़ सैकिण्ड खाता संख्या 62/69 मुरब्बा नम्बर 51 किला नम्बर 3/.253, 8/.253 कुल 0.506 हैक्टर नहरी भूमि वादी का तथा प्रतिवादीगण किला नम्बर 7/.215 हैक्टर रामकुमार का व किला नम्बर 4/.253, 5/.253, 6/1 में .177, 7/.038 हैक्टर नहरी/बारानी शंकर का खाता अलग करके विभाजन की डिक्री जारी की जावे।
3. फाईनल डिक्री के मुताबिक मिली भूमि का लगान अलग से कायम करके राजस्व रिकार्ड में बंटवारें के आधार पर इन्तकाल दर्ज करने की डिक्री जारी की जावे।
4. अन्य कोई अनुतोष जो वादी के हित में हो दिलाया जावे।
5. अनुतोष

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 04.06.2018 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये वादी की पहचान श्री तेजासिंह अधिवक्ता तथा प्रतिवादीगण की पहचान श्री सन्दीप ढाका अधिवक्ता द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि इस प्रकरण में गांव के मोतबिरान द्वारा पक्षकारान का आपस में रानीनामा करवा दिया है मुश्तर्का खाते की भूमि का लगान आदि अदा करनें व पानी बंधवानें व बैक लोन लेनें में दिक्कते आती थी इसलिये पक्षकारों नें मौतबिर व्यक्तियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आपस में राजीनामा कर लिया है राजीनामें के अनुसार पक्षकारान की जो भूमि हिस्से में आई है उसका विवरण निम्न प्रकार से है।

1. लच्छीराम के हिस्से में आई भूमि :– चक गणेशगढ़ सैकिण्ड खाता संख्या 62/69 मुरब्बा नम्बर 51 किला नम्बर 3/253, 8/.253 नहरी कुल 0.506 हैक्टर नहरी भूमि।
2. रामकुमार व शंकर के हिस्से में आई भूमि :– गणेशगढ़ सैकिण्ड खाता संख्या 62/69 मुरब्बा नम्बर 51 किला नम्बर 7/.215 हैक्टर रामकुमार को शेष भूमि शंकर पुत्र पतराम को किला नम्बर 4/.253, 5/.253, 6/1 में .177, 7/.038 हैक्टर नहरी/बारानी

लगातार 3

पैरोकार राज द्वारा दावा का बिन्दुवार जबाब प्रस्तुत कर कथन किया कि वाद वादी स्वीकार किया जाता है तो स्टेट को कोई एतराज नहीं है।

चुँकि प्रकरण में वादीगण एवम् प्रतिवादी के मध्य कोई प्रतिवाद नहीं होनें से तनकियात नहीं बनाई गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागणों की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्ता नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए वादी वादी स्वीकार किये जानें का कथन किया।

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया उभयपक्ष उभयपक्ष सयुक्त खाते की भूमि में रिकार्डेड खातेदार है, जो राजीनामा के आधार पर अपनी खातेदारी भूमि का विभाजन चाहे जानें से उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया।

–:: आदेश ::–

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत वाद वादी स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के हुए मध्य हुए राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :–

1. वादी लच्छीराम पुत्र श्री मनीराम जाति सुथार निवासी डूगरसिंहपुरा तहसील सादूलशहर जिला श्रीगंगानगर के हक हिस्सा की भूमि का विवरण :–

चक नम्बर	खाता संख्या	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
चक गणेशगढ़ सैकिण्ड	62 / 69	51	3 / .253, 8 / .253	0.506 हैक्टर

2. रामकुमार पुत्र श्री पतराम जाति सुथार निवासीयान डूगरसिंहपुरा तहसील सादूलशहर जिला श्रीगंगानगर के हक हिस्सा की भूमि का विवरण :–

चक नम्बर	खाता संख्या	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
चक गणेशगढ़ सैकिण्ड	62 / 69	51	7 / .215	0.215 हैक्टर

3. शंकर पुत्र श्री पतराम जाति सुथार निवासीयान डूगरसिंहपुरा तहसील सादूलशहर जिला श्रीगंगानगर के हक हिस्सा की भूमि का विवरण :–

चक नम्बर	खाता संख्या	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
चक गणेशगढ़ सैकिण्ड	62 / 69	51	4 / .253, 5 / .253, 6 / 1 में 0.177, 7 / .038	0.721 हैक्टर

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे। तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 04.06.2018 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के अन्तर्गत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत नहियांवाली के मजमे आम में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर